S/-

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6 / प्राक्क01–1228 / 2024– 805 पटना–15, दिनांकः– 24.4.25

सेवामें,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय –लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अन्तर्गत 01 अदद क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का आवास, 01 अदद अधीक्षण अभियंता का आवास एवं 09 अदद कार्यपालक अभियंता का आवासीय भवन के निर्माण हेतु योजनावार तकनीकी अनुमोदित स्थल प्राक्कलन के अनुसार पृथक–पृथक योजना हेतु कुल ₹939.40 लाख (नौ करोड़ उनचालीस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश–योजना स्वीकृत।

2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' के तहत पेयजल योजनाओं का निर्माण तथा संचालन एवं रख–रखाव का कार्य किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत 01 अदद क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र का आवास, 01 अदद अधीक्षण अभियंता, अंचल पूर्णियाँ का आवास एवं 09 अदद कार्यपालक अभियंता का आवास यथा–झंझारपुर, शेखपुरा, शेरघाटी, धमदाहा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियाँ तथा फारबिसगंज आवासीय भवनों के निर्माण की आवश्यकता है।

3. उपरोक्त आवास का अपना पूर्व निर्मित आवासीय भवन नहीं है। उक्त आवास हेतु नया आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः उक्त आवास हेतु नया आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता है।

4. इस योजना का सूत्रण भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न आवासीय भवनों यथाः क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का आवास, अधीक्षण अभियंता का आवास एवं कार्यपालक अभियंता का आवास के भवन निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार उनके द्वारा विभाग के लिए तैयार कर उपलब्ध कराए गए, तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। इस योजना में भवन निर्माण, पानी, बिजली, फर्नीचर का कार्य शामिल है। 11 अदद आवासीय भवनों के लिए योजना की कुल प्राक्कलित राशि कुल 939.40 लाख रूपये मात्र है। मॉडल प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिया गया है।

योजना की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र.	संबंधित प्रक्षेत्र/ अंचल/ प्रमंडल	कार्यालय भवन का निर्माण	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4
1	मुजफ्फरपुर	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का आवास	85.400
2	झंझारपुर	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
3	शेखपुरा	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
4	शेरघाटी	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
5	धमदाहा	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400

6	खगड़िया	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
7	मधेपुरा	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
8	सुपौल	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
9	पूर्णियाँ	अधीक्षण अभियंता का आवास	85.400
10		कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
11	फारबिसगंज	कार्यपालक अभियंता का आवास	85.400
		कुल	**939.400**

5. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0103–सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–36–4216010510103–विषय शीर्ष–0103.53.01–मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758/वि0 दिनांक– 31–05–17 के आलोक में विभागीय मंत्री महोदय द्वारा योजना की स्वीकृति दी गई है।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0 दिनांक–31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

13. योजना की तकनिकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्रवाई कर योजना का क्रियान्वयन करायेंगे।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम दो बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को जरूर उपलब्ध करायेंगे।

16. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

17. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

18. वास्तुविद से भवन के Outlook की समीक्षा योजना के आकस्मिकता मद से करायी जाएगी।

19. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इस पर विभागीय मंत्री एवं प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक :–6/प्राक्क01–1228/2024– 805 पटना– 15, दिनांक :– 24.4.25
प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन/ मुख्यालय)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी, बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ विशेष पदाधिकारी/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2/4/ उप निदेशक (मू0)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर पूर्णियाँ, दरभंगा, मुंगेर, गया, बेगूसराय, सहरसा/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, झंझारपुर, शेखपुरा, शेरघाटी, धमदाहा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियाँ, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

24/4/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)